जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

दोषी अभियन्ता के विरुद्ध डिस्कॉम की सख्त कार्यवाही

सहायक अभियन्ता को किया निलम्बित

जयपुर, 23 सितम्बर। बिजली चोरी पकड़ने के स्थान पर बिजली चोरी करने वालों से अवैद्य वसूली के तीन माह पुराने मामले में प्रारम्भिक जांच में दोषी पाए जाने पर सहायक अभियन्ता–डीडीयूजीजेवाई भरतपुर होतीलाल शर्मा को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। इस तरह के मामलों में आगे भी कोई दोषी पाया जाएगा तो डिस्कॉम द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी।

जयपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री अनिल कुमार बोहरा ने बताया कि इस मामले में शिकायत प्राप्त होने के बाद भरतपुर के अधीक्षण अभियन्ता से इसकी करवाई गई जांच में दोषी पाए जाने पर निलम्बन की कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि बिजली चोरी की रोकथाम के लिए विद्युत चोरी निरोधक दस्तों एवं पवस के अभियन्ताओं द्वारा लगातार जांच की जा रही है और बड़ी संख्या में मीटर टेम्परिंग एवं अवैद्य ट्रांसफार्मर के मामले पकड़े जा रहे है दूसरी तरफ निगम के ही एक अभियन्ता द्वारा बिजली चोरी में लिप्त लोगों से अवैद्य वसूली का प्रयास कर प्रकरणों में कार्यवाही करने के स्थान पर सहयोग किया जा रहा था।

श्री बोहरा ने बताया कि इस तरह के पुराने मामलों में किसी भी निगम कर्मी की संलिप्तता पाई जाएगी तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

मामला इस प्रकार है–सहायक अभियन्ता होतीलाल शर्मा द्वारा 26 जुलाई, 2016 को नदबई में स्थित एक मौहल्ले में बिजली चोरी पकड़ने के लिए सतर्कता जांच कार्यवाही की गई। 6 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई उनकी वीसीआर भरकर जुर्माना वसूलने के स्थान पर अवैद्य राशि वसूल कर मामलों को रफादफा कर दिया गया। जिससे निगम को वित्तीय हानि हुई। इस मामले में शिकायत प्राप्त होने पर डिस्कॉम अध्यक्ष द्वारा जांच के निर्देश दिए गए। इस मामले की जांच भरतपुर अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशाषी अभियन्ता द्वारा की गई जिसमें मौका निरीक्षण, जांच कार्यवाही व परिवादी के समक्ष पहचान के सत्यापन के उपरान्त निगम द्वारा होतीलाल शर्मा को निलम्बित करने की कार्यवाही की गई है।

निलम्बन काल में होतीलाल शर्मा का मुख्यालय संभागीय मुख्य अभियन्ता कोटा के कार्यालय में रहेगा।

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 446/2016